# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– कमलराम मीना, आर.ए.एस.

**अपील सं0:–10/2016** **(223 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. बुद्धसिंह पुत्र मनफूल जाति बलाई निवासी पीपलखेड़ा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर राज0 ।

.....वादी/अपीलांट

बनाम

1. जयसिंह पुत्र गुरूदित्ता,
2. प्रकाश पुत्र गुरूदित्ता,
3. बलबीर पुत्र गुरूदित्ता जाति राजपूत निवासी पीपलखेड़ा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर राज0 ।
4. मु0 जमना बाई पुत्री गुरूदित्ता माता का नाम रामलुभाई स्त्री श्यामलाल राजपूत निवासी पीपलखेड़ा हाल खटलखाना तहसील गंगानगर ।
5. मु0 गुड्डी बाई पुत्री गुरूदित्ता स्त्री भगवानसहाय जाति राजपूत निवासी पीपलखेड़ा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर राज0 ।
6. रानी बाई बेवा भूरासिंह कौम राजपूत निवासी पीपलखेड़ा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर राज0 ।
7. अजय पुत्र भूरासिंह पौत्र गुरूदित्ता निवासी पीपलखेड़ा नाबालिग जर्ये सरपरस्त माता रानी बाई खुद ।
8. राव पुत्र भूरासिंह पौत्र गुरूदित्ता राम निवासी पीपलखेड़ा नाबालिग जर्ये सरपरस्त माता रानी बाई खुद ।
9. उप पंजीयक गोविन्दगढ़ जिला अलवर राज0 ।

..... असल प्रति0/ रेस्पोडेन्ट्स

10. रतभान पुत्र बुद्धा जाति मेव निवासी ईमलाली तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर राज0
11. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर अलवर राज0 ।

..... तरतीबी प्रति0/रेस्पो0

उपस्थित :–

1. श्री उमाशंकर खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलांट ।
2. असल रेस्पो0 बावजूद सूचना अनुपस्थित ।

## ::: निर्णय :::

**दिनांक :–15.03.2018**

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, लक्ष्मणगढ़ (अलवर) के निर्णय व डिक्री दिनांक 18.06.2015 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी ख0 नं0 62 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम पीपलखेड़ा में स्थित है जो आराजी विवादित है । उक्त आराजी में सहाबाबाई का 1/2 हिस्सेसा था जिस साहबाबाई बेवा गुरूदित्ता आयु 56 साल निवासी पीपलखेड़ा ने बेचान का सौदा किया था व जिसका बयनामा भी मिन वादी के हक में दिनांक 25.7.97 को पंजीबद्ध कराया था जिसका इन्तकाल सं0 603 मिन वादी के नाम दर्ज होकर स्वीकार हो चुका है तथा इसका अमल भी जमाबन्दी में हो चुका है । प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य हे जिन्होंने बेईमानी करने के आशय से बाला–बाला वादी को बिना बताये मृतक गुरूदित्ता के नामान्तकरण की अपील कर दी थी जो अपील तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ को रिमाण्ड हो गई थी । बाला–बाला मे गुरूदित्ता का नामान्तकरण साहबाबाई के अलावा अन्य प्रतिवादीगण के नाम भी फैसल करवा लिया । विवादित आराजी का 1/2 भाग मिन वादी ने जर्ये रजिस्टर्ड बयनामा साहबाबाई बेवा गुरूदित्ता से खदीद किया था जो साहबाबाई प्रतिवादीगण की माता व दादी व सास है लेकिन प्रतिवादीगण गत इन्द्राज की आड़ में वादी के शांतिमय कब्जे काश्त में झगड़ा करते हैं । इसलिए विवादित आराजी के 1/2 भाग का वादी खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया लेकिन प्रतिवादीगण बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने के कारण उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही की गई । विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण को लोक अदालत की भावना से राजस्व कैम्प अदालत कैम्प कोर्ट बड़ोदामेव में रखा गया तथा वादीगण की बहस सुनकर दिनांक 18.6.2015 को वादीगण का वाद खारिज कर दिया जिस निर्णय व डिक्री दिनांक 18.06.2015 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया लेकिन रेस्पो0 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आये । तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्वान अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गयी ।

अपीलांट अभिभाषक का बहस में कथन है कि तहत न्यायालय में हमारे द्वारा एक दावा 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट का ख0 नं0 62 रकबा 2.10 बीघा वाके ग्राम पीपलखेड़ा का प्रस्तुत किया गया है जो आराजी विवादित है । विवादित आराजी में साहबाबाई का 1/2 हिस्सा था । साहिबाबाई ने दि0 25.07.1997 को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा अपीलांट को विवादित आराजी का बेचान किया है जिसका इन्तकाल सं0 603 हमारे पक्ष में दर्ज हो चुका है । इन्तकाल की रेस्पो0 के अन्य भाईयों ने अपील कर दी । अपील में इन्तकाल रिमाण्ड हो गया और तहसीलदार ने इन्तकाल सभी वारिसान के नाम दर्ज कर दिया । तहत अदालत ने प्रकरण को लोक अदालत में निर्णित किया है । हमें रेकार्ड व साक्ष्य का मौका नहीं दिया गया है । प्रकरण राजीनामा का मामला होता है, वही लोक अदालत में आता है । तहत

न्यायालय की आदेशिका दिनांक 18.06.2015 की तारीख में कटिंग हो रही है । हमें तहत न्यायालय ने लोक अदालत की कोई सूचना नहीं दी तथा नियत दिनांक में भी कटिंग की है । यदि तहत न्यायालय द्वारा हमें कैम्प कोर्ट की सूचना दी जाती तो हम रेकार्ड व साक्ष्य प्रस्तुत करते किन्तु हमें तहत न्यायालय ने कोई मौका नहीं दिया है ।

बहस जारी रखते हुए आगे कहा कि लोक अदालत में प्रकरण राजीनामा न करके मृतक के वारिसान को पक्षकार नहीं बनाया है । लोक अदालत में केवल आपसी सहमति के प्रकरण ही निस्तारित हो सकते हैं । इसलिए अपील अपीलांट स्वीकार करने का निवेदन किया । उन्होंने अपने समर्थन में आर.आर.टी. 2017 पेज 461 व आर.आर.टी. 2016–17 पेज 566 प्रस्तुत की ।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नजीरों का ससम्मान अवलोकन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से पाया गया है कि दावा साक्ष्य वादी में विचाराधीन था और प्रकरण को कोर्ट कैम्प में लगा दिया ।

अपीलांट का मुख्य बहस में तर्क है कि उन्हें बिना सुने तथा बिना उसकी साक्ष्य लिये जो निर्णय व डिक्री तहत न्यायालय ने पारित की है वह डिक्री विधि अनुकूल नहीं है । तहत न्यायालय को उभयपक्षों को सुनकर तथा जवाब एवं साक्ष्य लेकर गुणावगुण पर तनकीयात कायम करते हुए निर्णय पारित किया जाना चाहिए था । इसलिए तहत न्यायालय का निर्णय दिनांक 18.06.2015 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है तथा प्रकरण तहत न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने का मोहताज है ।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लक्ष्मणगढ़ (अलवर) के निर्णय दिनांक 18.06.2015 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण विद्वान उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ (अलवर) को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को विधिवत् साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए एवं तनकीयात कायम करते हुए पुनः गुणावगुण व निर्णय पारित करें । खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें ।

निर्णय आज दिनांक 15.03.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

15/3/18

(कमलराम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर